भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1385
जिसका उत्तर गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाना

1385 श्रीमती फूलो देवी नेतम :

श्रीमती वंदना चव्हाण :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम' लागू होने के बाद से कितने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ा गया है ;

(ख) क्या मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का यह कार्य स्वैच्छिक रूप से किया जा रहा है, यदि हां, तो मतदाताओं से सहमति कैसे ली जा रही है ;

(ग) क्या यदि कोई मतदाता अपनी सहमति वापस लेता है तो आधार का ब्यौरा हटा दिया जाएगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं जिनके मतदाता पहचान पत्रों को आधार से नहीं जोड़ा गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या सरकार ने मतदाताओं के डेटाबेस का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए उपाय किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021, अन्य बातों के साथ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों में संशोधन करता है, जो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विद्यमान या भावी निर्वाचक को स्वैच्छिक आधार पर पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आधार संख्या प्रदान करने की आवश्यकता की अनुज्ञा देता है । भारत निर्वाचन आयोग (आयोग) ने अपने निर्देश तारीख 04 जुलाई, 2022 दवारा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 01 अगस्त, 2022 से स्वैच्छिक आधार पर विद्यमान और भावी मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने का कार्यक्रम आरंभ किया है। आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना स्वैच्छिक है और प्ररुप 6ख में आधार प्रमाणीकरण के लिए मतदाता से सहमति प्राप्त की जाती है। सहमति वापस लेने का कोई उपबंध नहीं है ।

(घ) : जी नहीं ।

(ङ) : आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन मतदाता सूची की तैयारी के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, और आयोग ने सूचित किया है कि यह बहुस्तरीय सुरक्षा वास्तुकला के साथ डाटा बनाए रखता है और निर्वाचन डाटा को स्थैतिक और पारगमन दोनों में गूढ़लेखित किया गया है।

****